महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

- ब्यावर (अजमेर) में बीडी कामगारों के लिये एकीकृत आवास योजना के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय भारत सरकार से 700 आवासों के निर्माण हेतु अनुदान राशि 1.40 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त की गई, निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन है ।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत ''राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2009 दिनांक 30 अप्रेल, 2009 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित कर लागू किये गये तथा अधिनियम के अन्तर्गत '' राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल '' दिनांक 27 जुलाई, .2009 को गठित किया गया। इन नियमों के लागू होने से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों को विभिन्न योजनाएँ बनाकर लाभान्वित किया जा सकेगा।
- राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के 20 व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लागू की गई ''राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेन्शन योजना'' में आलोच्य अवधि में विभिन्न जिलों में 17000 से अधिक कामगार अंशदान राशि जमा कराकर सदस्य बने है।
- कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के परिणामस्वरूप श्रमिकों की अपंगता की स्थिति में स्वयं के एवं मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों के 1800 प्रकरणों का निस्तारण कर 43.37 करोड़ रूपये मुआवजा भुगतान के आदेश जारी किये गये।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रमिकों के सेवामुक्ति एवं सेवा शर्तों आदि की 2164 शिकायतों, 1416 विवादों तथा 1660 असफल वार्ता प्रतिवेदनों का निस्तारण किया गया।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति एवं अनुचित श्रम व्यवहार के 347 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रमिकों की बकाया राशि की वसूली हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों में से 112 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा 2250 प्रकरण निर्णित कर श्रमिकों को राहत पहुंचायी गई।
- श्रमिकों को वेतन भुगतान के 745 मामलों में 3.15 करोड़ रूपये की राशि के अवार्ड पारित कर श्रमिकों को राहत दिलाई गई।
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान के 279 मामलों में कुल 81.30 लाख रूपये की राशि के अवार्ड पारित किये गये।
- श्रमिकों के ग्रेच्युटी के 364 मामलों में 51.59 लाख़ रूपये की राशि के आदेश पारित किये गये।